

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

111793 - पति के लिए अपनी पत्नी को अपने पिता के साथ रहने के लिए मजबूर करना जायज़ नहीं है

## प्रश्न

मैं, कई समस्याओं के कारण, अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार से अलग घर में रहता था। मैंने अपनी पत्नी से प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसे नहीं छोड़ूँगा। कुछ समय के बाद, मेरे पिता ने मुझे परिवार के घर वापस आने के लिए कहा, ताकि मैं और मेरी पत्नी उनके साथ रहें। लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूँ और हमारे बीच जो प्रतिज्ञा है, उसे तोड़ दूँ? क्या मैं अल्लाह के इस कथन के अंतर्गत आता हूँ :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا  
الإسراء : 34

“तथा प्रतिज्ञा पूरी करो। निःसंदेह प्रतिज्ञा के विषय में प्रश्न किया जाएगा।” (सूरतुल इसरा : 34)?

## विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

“निःसंदेह पुत्र पर पिता का अधिकार बहुत बड़ा है। लेकिन जब आपकी पत्नी उनके घर में नहीं रहना चाहती, तो आप उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप अपने पिता को इस बात के लिए मना सकते हैं, और अपनी पत्नी को एक अलग घर में रख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने पिता के साथ संबंध बनाए रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें प्रसन्न रखें और जितना हो सके उनके साथ भलाई का व्यवहार करें।

जहाँ तक तलाक़ का संबंध है, तो यह आपके लिए अनुमेय है यदि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है और आप अपनी कसम के लिए प्रायश्चित्त कर सकते हैं। ऐसा करना अल्लाह के इस कथन के विपरीत नहीं है :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

الإسراء : 34

“तथा प्रतिज्ञा पूरी करो। निःसंदेह प्रतिज्ञा के विषय में प्रश्न किया जाएगा।” (सूरतुल इसरा : 34)

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

क्योंकि इससे अभिप्राय वह प्रतिज्ञा है जो हलाल (अनुमेय चीजों) को हराम (निषिद्ध) नहीं करती है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

आदरणीय शैख सालेह अल-फौज़ान।

“फतावा अल-मर्अतिल मुस्लिमह” (2/660)। संपादन : अशरफ बिन अब्दुल-मकसूद